न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी — शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या — 65/2011 (वाद

दायर दिनांक — 06/06/2011

निर्णय दिनांक — 27/11/2017

अनवान

1. पन्नालाल पिता रामा भील, निवासी—जीतावास, तहसील रेलमगरा
2. शंकरलाल पिता प्रताप भील, निवासी—जीतावास, तहसील रेलमगरा
3. नोली बाई बेवा प्रताप भील, निवासी—जीतावास, तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द
2. मांगीबाई पिता उदयराम पत्नि शंकरलाल चमार निवासी—जीतावास, तहसील रेलमगरा हाल निवासी धोलीमंगरी तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा

: : निर्णय : :

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्वत्व घोषणा का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम जीतावास तहसील क्षेत्र रेलमगरा की वर्तमान जमाबन्दी संख्या 604 में कृषि भूमि आराजी संख्या 1790/861 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय एवं आराजी संख्या 1791/861 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी तृतीय के रूप में स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि मांगीबाई पिता उदयराम, धापुबाई पत्नि स्वर्गीय उदयराम चमार साकिन देह गेरखातेदार के रूप में दर्ज है । प्रमाण में नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी वादपत्र में साथ प्रस्तुत है। वादग्रस्त की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियां पूर्व में उदयराम पिता सोला चमार के नाम पर दर्ज थी जो भूमियां विरासत के आधार पर उदयराम की मृत्यु पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 1192 के जरिये विरासत के आधार पर मांगीबाई पिता उदयराम व धापुबाई पत्नि स्वर्गीय उदयराम चमार के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज हो गई जबकि उक्त दोनो आराजी पर उदयराम का कभी कोई कब्जा नहीं रहा क्योंकि उदयराम पिता सोला चमार ने अपने जीवनकाल में ही आज से करिब 32 वर्ष पूर्व उक्त दोनो आराजी का कब्जा वादी संख्या 1 पन्नालाल व उसके भाई प्रताप पिता रामाजी भील को सोप दिया तब से उक्त दोनों आराजी पर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पन्नालाल व उसका भाई प्रताप 32 वर्ष पूर्व से काबिज है बाद में चुंकि प्रताप की मृत्यु हो जाने से उसकी जगह उनके विधिक वारिसान वादी संख्या 2 व 3 काबिज होकर मौके पर उक्त आराजी दो बराबर भागों में विभाजित होकर 32 वर्षो से निरन्तर, निर्विघ्न वादीगण कब्जे काश्त में चले आ रहे है। जिसमें उक्त भूमि का उर्वरा शक्ति बढाने के लिए वादीगण ने खतों में उपजाउ मिटटी डलवाई एवं हजारों रूपये खर्च भी किये गये जो आराजी वादीगण की आजीवीका का एकमात्र स्त्रोत होकर उसी कृषि आय में वादीगण अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। उक्त दोनों आराजी के साथ उदयराम पिता सोला चमार के पास एक अन्य आराजी संख्या 1806/265 रकबा 5 बीघा किश्म बंजड भी गैरखातेदारी रूप में प्राप्त थी जिस पर ही उसका कब्जा होकर उसके बाद उक्त भूमि पर उसकी पत्नि धापुबाई व पुत्री मांगीबाई प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा था जिससे बाद में दिनांक 10.01.2008 को नामान्तरकरण संख्या 1177 से उक्त आराजी संख्या 1806/625 रकबा 5 बीघा किस्म बंजड भूमि खातेदारी हक से दर्ज हो गयी तथा शेष आराजी संख्या जो वादीगण के हिस्से अधिपत्य में करीब 32 वर्षो से मौजुद है वह प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदारी में दर्ज नहीं हुई क्योंकि उपरोक्त वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण की काबिज होकर 32 वर्षो से काश्त कर रहे है जिससे अव वादीगण का उक्त जमीन पर कब्जा मुखलफाना परिपक्व होकर 30 वर्षो से भी अधिक समय से वादीगण का एडवर्स परिपक्व होने अब वादीगण उक्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कराने के उत्तराधिकारी हो जाते है एवं उक्त भूमि अपने स्वत्व की घोषित कराना चाहते है जिसके लिए प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वादीगण का उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों के तत्कालीन गैरखातेदार उदयराम पिता सोला चमार ने चूंकि यह भूमि उसके कब्जे काश्त में नहीं थी जिससे काफी समय पश्चात वर्ष 1990 में एक लिखितम वादी संख्या 1 व उसके भाई प्रताप के पक्ष में कब्जा सम्बन्धी निष्पादित की ताकि उक्त भूमि को लेकर उसके वारिसान कोई विवाद उत्पन्न नहीं करें जिससे विशिष्ट पडोस भी अंकित होकर मौके पर आज भी निम्न पडोस अंकित है:- पूर्व - अगछी पत्नि मांगीलाल भील का पडोस, पश्चिम - सरकारी पडत जमीन, उत्तर - अगछी पत्नि मांगी लाल भील का खेत, दक्षिण - सरकारी रास्ता समेला महादेव जी का उपरोक्त वर्णित पडोसियों के बिच स्थित वर्तमान में दो हिस्सों में विभाजित होकर उस पर वादीगण काबिज होकर उक्त खेती से उत्पन्न आय से अपनी आजीविका चला रहे है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मांगीबाई पिता उदयराम व धापु पत्नि स्व. उदयराम चमार के नाम पर गैरखातेदारी के रूप में दर्ज है किन्तु यह भूमि 30 वर्षो से भी अधिक समय से वादीगण के कब्जे में होकर वादीगण ही काश्त कर रहे उसमें हजारों रूपये खर्च कर मिटटी डलवाकर उपजाउ बनाया जो निरन्तर , निर्विघ्न 30 वर्षो से अधिक समय से वादीगण के कब्जे में होने से उक्त भमि के सम्बन्ध में वादीगण प्रतिकुल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 व स्वर्गीय धापु का नाम हटाने व अपने स्वत्व हक की घोषणा कराने तथा अपने नाम पर अंकित कराने के अधिकारी है जिसके लिए उक्त वादपत्र प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

किया जाना नितांत आवश्यक है। वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि गैरखातेदारी हक से दर्ज होने से उक्त प्रकरण में राज्य सरकार प्रभावित पक्षकार है जिससे धारा 80 जा.दी. का पंजीकृत सूचना पत्र दो माह पूर्व का दिनांक 22.2.2011 को प्रषित किया गया जो प्राप्ति के पश्चात में कोई कार्यवाही नही की गई जबकि उक्त सूचना पत्र दिनांक 24.02.2011 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को प्राप्त हो गया उसके पश्चात दिनांक 24.4.2011 से वादीगण का वाद हेतु उत्पन्न होकर आज तक निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 3 भूमि धारक राज्य सरकार के प्रतिनिधी पक्षकार होने से उन्हें संभावित आपत्ति के निराकरण हेतु प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया अन्यथा कोई दाद उनके विरूद्ध नहीं चाही गई है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गैरखातेदारी रूप में दर्ज होने से उन्हें भी प्रभावित पक्षकार बनाया गया है एवं धापु बाई का स्वर्गवास होने से एवं उनकी एक मात्र वैध वारिस प्रतिवादी संख्या दा उसकी पुत्री होने से उन्हें ही पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमायी जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी संख्या 1790/861 रकबा 3–12 व आरजी संख्या 1791/861 रकबा 10–00 किस्म बारानी तृतीय भूमि से मांगीबाई प्रतिवादी संख्या 2 व स्वर्गीय धापुबाई का नाम गैरखातेदारी रूप में दर्ज है जो उनकी जगह वादीगण का प्रतिकुल कब्जा होने से उनका नाम हटाया जाने व वादीगण का नाम अंकित कराने की घोषणा फरमायी जावे ।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 का विवरण सही है। वादपत्र की कलम संख्या 02, 03, 04 वादी स्वयं साबित करें। वादपत्र की कलम संख्या 05 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 ख का उल्लघंन हो रहा है। जो उक्त आराजियात पर अवैध एवं नाजायज खर्चा किया जा रहा है। वादपत्र की कलम संख्या 06 वाद सम्बन्धित है। वादपत्र की कलम संख्या 07 प्रार्थी स्वयं साबित करें। वादपत्र की कलम संख्या 08 व 09 न्यायालय से सम्बन्धित है। वादपत्र की कलम संख्या 10 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(बी) के तहत कार्यवाही योग्य है। वादपत्र की कलम संख्या 10 (ख व ग) तथ्य ही है।

वादी के दावा एवं जवाब दावा के अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी :–

1. आया ग्राम जीतावास की वर्तमान जमाबन्दी संख्या 604 में स्थित कृषि आराजी संख्या 1790/861 रकबा 03–12 बीघा किस्म बारानी तृतीय एवं आराजी संख्या 1791/861 रकबा 00–10 बीघा किस्म बारानी तृतीय पर वादीगण 30 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जे काश्त में होने से वादीगण का प्रतिकूल कब्जा परिपक्व

सही/-

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हो चुका है। जिसमें प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण मांगीबाई व स्व. धापुबाई का नाम हटवाने के साथ ही कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है। **जिम्मे वादीगण**

2. आया वादग्रस्त भूमियां मौके पर भी दो भागों में विभाजन होकर वादीगण ने हजारों रूपये खर्चा कर भूमि को उपजाउ बनाया व 30 वर्षो पूर्व में ही प्रतिवादीगण की जानकारी में कब्जा वादीगण का चला आ रहा है जिसमे गैरखातेदारी के रूप में दर्ज नाम हटवाने व वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। **जिम्मे वादीगण**
3. आया वादीगण का उक्त वादी धारा 42 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उल्लघंन है जो उक्त आराजियात पर अवैध व नाजायज खर्चा किया है। **जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03**

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी0डब्ल्यू0–01 पन्नालाल भील, पी0डब्ल्यू0–02 शंकरलाल भील, पी0डब्ल्यू0–03 रतनलाल जाट, पी0डब्ल्यू0–04 रतनलाल भील के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर जिरह पूर्ण की गयी तथा जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–01, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–02, कब्जा सम्बन्धि लिखतम की छाया प्रति प्रदर्श–03ए, सूचना पत्र की प्रति प्रदर्श–04, पोस्टल रसीद प्रदर्श–05 एवं प्राप्ति रसीद प्रदर्श–06 के प्रस्तुत किये गये। पैरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करना चाहा।

प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

- तनकी संख्या 01 जिम्मे वादीगण होकर वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी0डब्ल्यू0–01 पन्नालाल भील, पी0डब्ल्यू0–02 शंकरलाल भील, पी0डब्ल्यू0–03 रतनलाल जाट, पी0डब्ल्यू0–04 रतनलाल भील के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर जिरह पूर्ण की गयी तथा जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–01, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–02, कब्जा सम्बन्धि लिखतम की छाया प्रति प्रदर्श–03ए, सूचना पत्र की प्रति प्रदर्श–04, पोस्टल रसीद प्रदर्श–05 एवं प्राप्ति रसीद प्रदर्श–06 के प्रस्तुत किये। प्रकरण में प्रदर्श–03 ए का अवलोकन करने पर स्टाम्प 20/– रूपया श्री उदयराम पिता सोहन चमार द्वारा दिनांक 04.07.1990 को जारी करवाया जाकर वर्तमान मे लगभग 27 वर्ष की अवधि ही पूर्ण हुई है साथ ही आर0आर0डी0 2011 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (2) अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वादीगण अपनी उक्त तनकी को सिद्व करने में असफल रहने से वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रैलमगरा

- तनकी संख्या 02 जिम्मेवादीगण होकर तनकी संख्या 01 के अनुसार वादीगण अपनी उक्त तनकी को सिद्व करने मे असफल रहने से वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।
- तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 के जिम्मे होकर पत्रावली के अवलोकन से विकेता की जाति चमार होकर अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा केता की जाति भील होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (2) के अनुसार अनूसूचित जाति की भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य के अतिरिक्त अन्य जाति के सदस्य को हस्तान्तरण किया जाना प्रतिबन्धित है। प्रदर्श– 03ए के अनुसार प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (2) को उल्लघंन होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रवितादीगण संख्या 01 व 03 उक्त तनकी को सिद्व करने में सफल रहने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः वादीगण का वाद उपरोक्त तनकियात के विवेचन के आधार पर वाद बाबत् स्वत्व घोषणा का खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 03 को निर्देशित किया जाता है कि मामलें में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जावें। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्राली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :— शक्तिसिंह भाटी, आर० ए० एस
राजस्व वाद संख्या :— 165/2016 वाद
65/2011

वादीपक्ष :—
1. पन्नालाल पिता रामा भील, निवासी—जीतावास, तहसील रेलमगरा
2. शंकरलाल पिता प्रताप भील, निवासी—जीतावास, तहसील रेलमगरा
3. नोली बाई बेवा प्रताप भील, निवासी—जीतावास, तहसील रेलमगरा

—: बनाम :—

प्रतिवादीपक्ष :—
1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द
2. मांगीबाई पिता उदयराम पत्नि शंकरलाल चमार निवासी—जीतावास, तहसील रेलमगरा हाल निवासी धोलीमंगरी तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

दावा :— स्वत्व घोषणा
वादी की ओर से :— अधिवक्ता— आर०एल० साहू
प्रतिवादी की ओर से :— अधिवक्ता— पैरोकार सरकार

में इस आशय में दिनांक 27 / 11 / 2017 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती है कि वादीगण का वाद उपरोक्त तनकियात के विवेचन के आधार पर वाद बाबत् स्वत्व घोषणा का खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 03 को निर्देशित किया जाता है कि मामलें में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जावें। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावें। पत्राली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 27 / 11 / 2017 को न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा